

पत्रांक —३ / एम०—११ / २०२० सा०प्र० ३७३६ /

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी  
सरकार के अपर मुख्य सचिव  
सेवा में

विकास आयुक्त  
पुलिस महानिदेशक  
सभी विभाग  
सभी विभागाध्यक्ष  
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त  
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक १३.३. २०२०

विषय:- कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं उससे बचाव के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में विचार किया गया।

2. सम्यक् विचारोपरान्त उक्त संदर्भ में तत्काल निम्नांकित निर्णय लिया गया है -
- (i) बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित सभी विद्यालय (प्राईवेट विद्यालय सहित)/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/कोचिंग संस्थान तत्काल प्रभाव से दिनांक- 31.03.2020 तक बन्द रखे जायेंगे।
  - (ii) सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था तत्काल स्थगित रहेगी। परन्तु मध्याह्न भोजन की राशि की गणना कर राशि सीधे संबंधित छात्र के खाते में दिनांक- 31.03.2020 से पहले जमा करा दी जायेगी।
  - (iii) सभी आंगनबाड़ी केन्द्र बन्द रहेंगे। परन्तु आंगनबाड़ी केन्द्र से लाभुक महिलाओं को Take Home Ration दिये जाने की व्यवस्था जारी रहेगी तथा बच्चों के भोजन की राशि की गणना कर यह राशि सीधे संबंधित अभिभावक के खाते में दिनांक-31.03.2020 के पहले जमा करा दी जायेगी।
  - (iv) दिनांक-22.03.2020 को प्रस्तावित बिहार दिवस का आयोजन तत्काल स्थगित किया जाता है। बिहार दिवस के आयोजन के लिए अगली तिथि का निर्धारण बाद में किया जायेगा।
  - (v) बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी खेल-कूद से संबंधित आयोजन/सांस्कृतिक महोत्सव आदि जहाँ तक सम्भव हो स्थगित रखे जायेंगे। ऐसे आयोजनों के लिए बापू सभागार/अधिवेशन भवन आदि सभी सरकारी भवनों की पहले से किये गये आरक्षण को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।
  - (vi) बिहार राज्य में अवस्थित सभी सरकारी पार्क/संजय गाँधी जैविक उद्यान/इको पार्क आदि तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।

(vii) सभी विभागाध्यक्ष ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनके कार्यालय में कर्मियों का एक साथ जुटाव न हो। इसके लिए आवश्यकतानुसार समूह 'ग' एवं 'अवर्गीकृत समूह' के कर्मियों को दो समूह में बाँटकर उन्हें एक दिन बीच कर (Alternate day) कार्यालय आने का निदेश विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान द्वारा दिया जा सकेगा। परन्तु स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मी लगातार कर्तव्य पर रहेंगे जिसके लिए उन्हें समुचित रूप से प्रोत्साहित किया जायेगा।

(viii) भारत नेपाल रीमा पर कोरोना बायरस के संक्रमण की जाँच की व्यवस्था और सुदृढ़ की जायेगी।

(ix) सभी अस्पतालों को सुदृढ़ किया जायेगा तथा 100 अतिरिक्त Ventilators की व्यवस्था की जायेगी।

(x) कोरोना बायरस संक्रमण की जाँच की व्यवस्था अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना तथ पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भी की जायेगी।

(xi) राज्य के अन्दर अवरिथित सभी सिनेमा हॉल तथा संग्रहालय तत्काल प्रभाव से दिनांक-31.03.2020 तक बन्द किये जाते हैं।

(xii) राज्य के अन्दर अवरिथित Shopping Malls को बन्द किये जाने के संदर्भ में निर्णय बाद में लिया जायेगा।

3. उपर्युक्त निर्णयों के संबंध में सभी संबंधित विभागों द्वारा अलग से विस्तृत एवं यथोचित आदेश निर्गत किया जायेगा। उक्त निर्णयों का दृढ़ता से अनुपालन करने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(AM)

(आमिर सुबहानी)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- 3/एम०-11/2020सा०प्र०....3736/ पटना-15 दिनांक-.... 13.3.20

प्रतिलिपि—श्री चंचल कुमार, माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/श्री मनीष कुमार वर्मा, माननीय मुख्य मंत्री के सचिव तथा श्री अनुपम कुमार, माननीय मुख्य मंत्री के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(AM)  
(आमिर सुबहानी) 13.3.2020

सरकार के अपर मुख्य सचिव।